(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती प्रियंका गोस्वामी (आई.ए.एस)
प्रकरण संख्या : 15 / 2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 02.05.2025 निर्णय दिनांक : 07.07.2025

उनवान

1. संजय पुत्र ताराचंद जाति अहीर निवासी हमीदपुर, तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़, राज. – प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी बहरोड़, जिला कोटपूतली–बहरोड।
2. सतीश कुमार पुत्र रामसिंह
3. विक्रमसिंह पुत्र रामसिंह
4. लालाराम पुत्र जगमालसिंह
5. मोतीलाल पुत्र तोताराम
   समस्त जातियान अहीर, निवासीयान कायसा, तहसील नीमराना, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राज.
6. गौरव यादव पुत्र निहालसिंह, नाबालिग जरिये पिता निहालसिंह, जाति अहीर, निवासी चांदपुर, तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल–तिजारा, राज. – अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 235 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री सुबेसिंह यादव अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री अशोक कुमार यादव अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 लगा. 04 एवं श्री अनूप शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 05 की ओर से।

–: निर्णयः– दिनांक– 07.07.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उनवानी वाद संजय वगैरह बनाम सतीश कुमार वगैरह मुकदमा नम्बर 85 / 2024 जिसके संलग्न टी. आई 212 आर.टी.एक्ट. संजय वगैरह बनाम सतीश कुमार वगैरह, मुकदमा नम्बर 95 / 2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड में जैरकार है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 लगा. 04 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार यादव एवं अप्रार्थी संख्या 05 की ओर से श्री अनूप शर्मा ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पर सीधी बहस करना जाहिर किया।
3. वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ के समक्ष उनवानी वाद संजय वगैरह बनाम सतीश कुमार वगैरह मुकदमा नम्बर 85 / 2024 जिसके संलग्न टी. आई 212 आर टी एक्ट संजय वगैरह बनाम सतीश कुमार वगैरह, मुकदमा नम्बर 95 / 2024 इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रतिवादीगण गांव में ऐलानियां कह रहे है कि हमारी एस.डी.एम. बहरोड से बात हो गई है तथा हम उक्त वाद व टी. आई. को खारिज करवायेगें। प्रतिवादीगण भूमाफिया है व संख्या बल बहुबल एंव धनबल युक्त है और उनके द्वारा ऐसी ऐलानियां धमकी देने से वादी को यह आभास हो गया है कि वादी को न्याय प्राप्त नही होगा। न्याय होने के लिये न्याय की यह मंशा रहती है कि न्याय की प्राप्ति के साथ साथ सभी पक्षकारों को यह प्रदर्शित होना चाहिये कि उन्हे न्याय प्राप्त होगा, यदि पक्षकारो को न्याय नही प्राप्त होने का अंदेशा हो तो प्रकरण को अन्य न्यायालय में हस्तान्तरण किया जाना विधि अनुरूप व न्यायसंगत है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद मय टी.आई को अन्यत्र किसी भी सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने के आदेश फरमावें।

न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़ (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

5. अप्रार्थी संख्या 02, 03 व 05 की ओर से अधिवक्तागण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीएक्ट जवाब दरख्वास्त हेतु विचाराधीन है तथा वादपत्र रिपोर्ट कुर्रेजात प्राप्त होने हेतु लंबित है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचाराधीन प्रकरण में कोई ऐसी कार्यवाही नही की गई है जिससे तहत न्यायालय में विचाराधीन वाद मय टीआई को अन्य किसी न्यायालय मे स्थानांतरित किया जावें। प्रार्थी ने झूठे आरोप लगाये है। अन्त में वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस मे जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में विधिवत् सुनवाई की जा रही है ये प्रार्थना पत्र केवल प्रकरण को अनावश्यक विलम्ब करवाने हेतु पेश किया है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विचाराधीन प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 04 को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

6. उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ ने पत्रांक कोर्ट/2025/301 दिनांक 19.06.2025 के द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के संबंध में बिन्दुवार टिप्पणी में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य मनमाने अंकित किये गये है जो सारहीन है। न्यायालय द्वारा विचाराधीन प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। पत्रावली वर्तमान में मौका रिपोर्ट हेतु लंबित है। उनवानी वाद में दिनांक 19.12.2024 को दोनो पक्षो की उपस्थिति में सहमति से वादपत्र को प्राथमिक डिक्री किया गया है। जिसमें तहसीलदार बहरोड द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पेश की गई है। वादी द्वारा पत्रावली में कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। पत्रावली वर्तमान में कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की बहस में लंबित है लेकिन वादी/प्रार्थी प्रार्थना पत्र में बहस नही कर रहे है अपितु बार-बार बहस हेतु समय चाह रहे है। जिससे वादी का वादपत्र अनावश्यक लंबित है तथा वाद विवाद बनाये रखने हेतु उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। फिर भी श्रीमानजी यदि इस प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं हैं।

7. उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया पत्रावली का भलीभांति अवलोकन व अध्ययन किया गया जिससे यह परिलक्षित होता है कि प्रकरण में वकील प्रार्थी ने प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने का निवेदन किया है तथा वकील अप्रार्थी संख्या 04 ने अपनी बहस में एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड ने भी अपने जवाब प्रार्थना पत्र में जाहिर किया कि यदि प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो उनको कोई आपत्ति नहीं है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, बहरोड़ में विचाराधीन उनवानी वाद संजय वगैरह बनाम सतीश कुमार वगैरह मुकदमा नम्बर 85/2024 जिसके संलग्न टी.आई. 212 आर.टी. एक्ट मुकदमा नम्बर 95/2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली को स्थानांतरण किये जाने के आदेश दिये जाते है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को निर्देश दिये जाते है कि वह उक्त उनवानी प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली को शीघ्र मूल पत्रावली प्रेषित करें। उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली को निर्देश दिये जाते है कि वह उक्त उनवानी प्रकरण का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण करें। उभयपक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के समक्ष दिनांक 22.07.2025 को उपस्थित होवें। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी बहरोड़/कोटपूतली को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 07.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ (राज.) सत्यमेव जयते

(प्रियंका गोस्वामी)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़